बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के सारण जिलान्तर्गत हिन्दी प्राथमिक विद्यालय नरपलिया मांझी की श्रीमती राशदा सुल्ताना को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सारण प्रमंडल छपरा के ज्ञापांक- 301, दिनांक- 22.05.2017 के आदेशानुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मांझी के ज्ञापांक- 149, दिनांक- 24.05.2017 के आलोक में स्थानांतरित विद्यालय में योगदान करने हेतु आदेश दिया गया था लेकिन स्थानांतरित विद्यालय में योगदान न करके उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में श्रीमती राशदा सुल्ताना, सहायक शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, नरपलिया, मांझी सारण के ज्ञापांक- 1828 छपरा, दिनांक- 04.07.2017 के आलोक में निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी के संरक्षण में होने के कारण श्रीमती सुल्ताना निर्धारित मुख्यालय में योगदान न करके पूर्व के विद्यालय में ही बैठकर विद्यालय की शैक्षणिक माहौल को दूषित कर रही हैं।

अतः श्रीमती राशदा सुल्ताना, सहायक शिक्षिका के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु सदन में सरकार से एक ठोस वक्तव्य की मांग करता हूं।

1. ह0/- नीरज कुमार ,स0वि0प0
2. ह0/- वीरेन्द्र नारायण यादव ,स0वि0प0 एवं
3. ह0/- राणा गंगेश्वर सिंह,स0वि0प0 ।

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-156/2018 – 692 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 21.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह

(नवल किशोर सिंह) 21.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के गांवों के विकास के लिए 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। गांवों के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। 7 निश्चय को धरातल पर उतारने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका है जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सेवक एवं स्थानीय बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन सभी के आपसी ताल-मेल से 7 निश्चय को पूरा करने में और आसानी होगी। विभिन्न पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों का आपसी ताल-मेल नहीं होने से कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है जो पंचायतों के साथ गांव के समग्र विकास के लिए दुःखद है। एक पंचायत सेवक को तीन-तीन पंचायतों का प्रभार दिया गया है। वार्ड सदस्य और मुखिया में आपसी ताल-मेल का अभाव है जिसके कारण पंचायत में चल रही गांव के विकास की सारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

अत: 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने एवं पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्थानीय बैंकों के साथ आपसी ताल-मेल रखने एवं गांवों के विकास के लिए चल रही सभी योजनाओं में तेजी लाने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- आदित्य नारायण पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-176/2018 – 718 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ योजना एवं विकास विभाग,बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना के दुजरा (देवी स्थान) निवासी श्री राम भजन सिंह निषाद पिता- स्व0 चमरू महतो द्वारा मात्र चार फीट की गली में बिना किसी पीलर(स्तंभ) के ही पांच मंजिला मकान के अवैध रूप से निर्माण को रोकने हेतु लिखित शिकायत नगर आयुक्त,पटना नगर निगम, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल (उत्तरी) पटना नगर निगम, पटना के कार्यालय में दिनांक – 01.08.2016 को प्राप्त कराया गया था, उक्त कार्यालय द्वारा पंजीकृत संख्या- 10,626, दिनांक – 01.08.2016 दिया गया था, किन्तु आज तक उक्त पदाधिकारियों द्वारा राम भजन सिंह निषाद के द्वारा अवैध रूप से बना रहे पांच मंजिला मकान के निर्माण को रोकने संबंधी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तथा राम भजन सिंह निषाद द्वारा पटना नगर निगम, पटना के नियम को ताक पर रखते हुए अवैध रूप से पांच मंजिला मकान का निर्माण किया गया, साथ ही गली की चौड़ाई को नजरअंदाज करते हुए छज्जा भी निकाल लिया गया। जिसके कारण उनके पड़ोसियों को मिलने वाली रौशनी, धूप एवं हवा सही ढंग से नहीं मिल पाता है।

अत: वार्ड संख्या – 24 की वार्ड सदस्या सह सशक्त स्थायी समिति,पटना नगर निगम, पटना के लिखित शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले उक्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा श्री राम भजन सिंह निषाद पिता- स्व0 चमरू महतो के द्वारा अवैध रूप से बिना किसी पीलर(स्तंभ) के ही बनाये गये पांच मंजिला मकान तथा गलत ढंग से निर्माण किये गये छज्जा को तोड़वाने के संबंध में सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

1. ह0/- मनोज यादव ,स0वि0प0
2. ह0/- सोनेलाल मेहता ,स0वि0प0
3. ह0/- डा0 उपेन्द्र प्रसाद , स0वि0प0 एवं
4. ह0/- राणा गंगेश्वर सिंह,स0वि0प0।

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-157/2018 – 694 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 23.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना स्थित आई.जी.आई.एम.एस. पटना में 2014 के बाद डा. नरेश कुमार की नियुक्ति आई.जी.आई.एम.एस. में प्राध्यापक के पद पर जेनरल मेडिसीन विभाग मेAdv N0-01/Faculty/Estt. /2016 के विरूद्ध हुआ है अनारक्षित पद पर आरक्षण का लाभ देकर डॉ. नरेश कुमार की नियुक्ति की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले एवं आरक्षण के नियमों के विरूद्ध है। डॉ. नरेश कुमार को 14 वर्ष के वाँछित अनुभव नहीं रहने पर भी अनुभव में छूट दी गई साथ ही डॉ. नरेश कुमार को वरीय आवासीय चिकित्सक का अनुभव लाभ 5 वर्ष कर दिया गया जबकी यह केवल 3 वर्ष ही जोड़ा गया है। इसे M.C.I. ने भी गलत माना है। इसी प्रकार डॉ. भीम

की नियुक्ति आई.जी.आई.एम.एस. पटना में सह प्रध्यापक पद पर Adv No -04/Adhoc-Faculty Appointmen/IGIMs/Estt./2017 इसी कड़ी से डॉ. समरेन्द्र कुमार की नियुक्ति आई.जी.आई.एम.एस. पटना में सह प्रध्यापक न्यूरो सर्जरी के पद पर Adv No-09/Faculty/Estt./2015 है। यह सभी नियुक्तियाँ अवैध है। 3 वर्ष का अनुभव नहीं रहने पर भी इन सभी पदों पर अवैध रूप एसे नियुक्तियाँ हुई है।

अत: मैं उपर्युक्त विषय की जाँच कराकर अपेछित कार्रवाई के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- संजय प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक- बि.प.अ.प्र-175/2018 – 705 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 23.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य बिभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 23.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

आयुर्वेद के प्रति पूर्णतया समर्पित ख्यातिलब्ध, आयुष्य चिकित्सा में नाड़ी परीक्षण के विशेषज्ञ एवं आयुर्वेदीय चिकित्सा से कोटिश प्राणियों को आरोग्य का अबदान देने वाले सम्मान्य स्व0 कविराज रामलखन सिंह ने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कदमकुंआ में अपना अध्ययन कार्य संपन्न किया। वे 1927 से 1932 के बीच उक्त महाविद्यालय के शासी निकास के सदस्य रहे। ऐसे मुर्धन्य आयुर्वेदाचार्य को किसी प्रकार का सम्मान नहीं देना आयुर्वेद के लिए खेदजनक है। कविराज राम लखन बाबू के सम्मान में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान इकाई का नामकरण करने के लिए पूर्व में मेरे द्वारा पत्रांक-22,दिनांक-26/10/2016 के आलोक में मा0 मंत्री स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को पत्र दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग के सेक्सन -16 में मामला लंबित है।

अत: मैं कविराज रामलखन बाबू के सम्मान में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान इकाई का नामकरण करते हुए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय मुर्धन्य वैद्य अथवा आयुर्वेद के युवा वैज्ञानिकों को राशि एवं मोमेंटो से सम्मानित करने हेतु एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सी0पी0 सिन्हा

स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-151/2018- 680 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 21.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/स्वास्थ्य विभाग,बिहार /प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 21.03.18

(नवल किशोर सिंह)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली जिलान्तर्गत भगवानपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय पटेढा की जमीन, गांव के निवासी श्री विश्वनाथ सिंह, पिता- स्व. राम नारायण सिंह द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। ज्ञातव्य है कि विद्यालय भवन अत्यंत जर्जर है और विद्यालय भवन निर्माण के लिए 31,00,000/- लाख रुपये जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के पास पड़ा हुआ है। पूर्व के अंचलाधिकारी एवं सरकारी अमीन द्वारा विद्यालय की जमीन की पैमाइश कराकर सीमांकन कर दिया गया है। सीमांकन ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया, चूंकि अतिक्रमणकारी वर्तमान अंचलाधिकारी, भगवानपुर के अपने भाई हैं, इनका मैका (मां का घर) यहीं पड़ता है। इसलिए उनके द्वारा विद्यालय की जमीन खाली कराने हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है साथ ही उनके द्वारा वर्तमान अमीन एवं राजस्वकर्मी पर गलत प्रतिवेदन देने का दबाव बनाया जा रहा है।

अत: मैं वैशाली जिलान्तर्गत भगवानपुर प्रखण्ड स्थित मध्य विद्यालय पटेढा की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर विद्यालय भवन का शीघ्र निर्माण कराए जाने तथा अतिक्रमणकारियों को लाभ पहुंचाने वाले अंचलाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदार नाथ पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-140/2018- 671 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार / शिक्षा विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 20.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के कारण विधवा पत्नी अथवा आश्रित पुत्रों की नियुक्ति का मामला कई वर्षों से लंबित है। अनुकम्पा के आधार पर योग्यता आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार की ओर से स्पष्ट नियम बनाए गए हैं एवं दिशा निर्देश भी दिया गया है फिर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं पंचायती राज पदाधिकारी की अकर्मण्यता, एवं भ्रष्ट आचरण के कारण मृतकों के आश्रित परिजन दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। इन लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आर्थिक दोहन किया जा रहा है। जब तक जिला पदाधिकारी, मधुबनी स्वयं इन चीजों की मॉनिटरिंग कर इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित कराने के साथ-साथ जिला के सभी आश्रित परिवारों को नियमानुसार नौकरी में योगदान कराना सुनिश्चित नहीं करेंगे, यह मामला वर्षों-वर्ष तक लंबित ही रह जाएगा।

अत: आश्रित परिजनों को सरकारी कार्यालय में योगदान सुनिश्चित कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./-राज किशोर सिंह कुशवाहा
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-128/2018 – 644 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 19.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राष्ट्रीय मध्याह्न भोजना योजना में लगे रसोईयों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। इन रसोईयों द्वारा बार-बार बिहार राज्य में भोजन वितरण की व्यवस्था में ठेकेदारी प्रथा बंद कर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश के तहत बच्चों को गर्म एवं ताजा पौष्टिक भोजन देने की मांग की गई परन्तु अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रसोईयोंकी आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार के लिए दस हजार रूपया प्रतिमाह मानदेय देने सहित बारहों महीनों का मानदेय भुगतान किया जाना आवश्यक लगता है। इन रसोईयों को पांच लाख रूपया का मुफ्त जीवन बीमा, मानदेय का भुगतान बैंकों के माध्यम से ऑन लाईन किए जाने, रसोईयों के स्थायीकरण, विद्यालय पर रसोई बनाने के लिए धुआं रहित चूल्हा उपलब्ध करने, इनकी चयन प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीनस्थ किए जाने,कार्यरत रसोईयों को विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश लागू किए जाने और 30 बच्चों पर एक रसोईया बहाल किए जाने की मांग बार-बार की जा रही है।

अत: इन रसोईयों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन के लिए इन मांगों को मानते हुए तत्संबंधी शासनादेश निर्गत करने के संबंध में सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./-सच्चिदानन्द राय
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-127/2018 – 643 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 19.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सूचना-क्रांति के वर्तमान समय में जनसंचार एवं पत्रकारिता के अध्ययन-अध्यापन की आवश्यकता सर्वत्र बढ़ गई है। कई राज्यों में पत्रकारिता एवं जन संचार के अध्ययन के संस्थान एवं विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। बिहार में लम्बे समय से इसका अभाव महसूस किया जा रहा है। यहाँ के छात्र –छात्राओं को पत्रकारिता के अध्ययन के लिए दूसरे राज्यों में जान पड़ता है और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं पटना में पत्रकारिता एवं जनसंचार (Journalism and Mass Communication) विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./-डा. रामवचन राय
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-126/2018 – 642 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक एवं इंटर पास प्रथम श्रेणी के छात्रों की उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृति देने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था उर्दू माध्यम से प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्रों के लिए भी लागू की गई है, जिससे शिक्षा के प्रति छात्र- छात्राओं में लगाव पैदा हुआ है, किन्तु इस व्यवस्था से संस्कृत माध्यम से मध्यमा एवं उपशास्त्री जो क्रमश: मैट्रिक एवं इंटर के समकक्ष करने वाले छात्र छात्रवृति से वंचित हैं। संस्कृत माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा इससे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे है, उसमें निराशा व्याप्त है।

अत: मैं सरकार से मध्यम एवं उपशास्त्री में प्रथम श्रेणी से उतीर्ण छात्रों के लिए छात्रवृति देने के से संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./-दिलीप कुमार चौधरी
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-125/2018 – 641 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 19.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुण्ड थाना के खैरैह पहाड़ को खोदकर एक व्यक्ति ने अवैध रूप से अपना आलिशान घर बना लिया है तथा एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी खोल रखा है। रात्रि में नाजायज रूप से पत्थर माफियाओं की मिलिभगत से पहाड़ खोदकर मोरंग की ब्रिकी कर रहा है। अवैध मोरंग की खुदाई से पर्यावरण संरक्षण पर भी खतरा मंडरा रहा है। सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगो में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अत: मैं इस गंभीर मामले में यथाशीघ्र कार्रवाई के साथ ही खैरैह पहाड़ को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-124/2018 – 640 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ खनन एवं भूतत्व विभाग बिहार/ पर्यावरण एवं वन विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्